बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
प०नि०वि० यांत्रिक कर्मशाला परिसर (पटना हवाई अड्डा के नजदीक), शेखपुरा, पटना–800014
दूरभाष नं० – 0612–2226711, फैक्स नं०– 0612–2226723

कार्यालय आदेश –489

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के विज्ञापन सं० –PR-5013(N.N.) 13-14 द्वारा विज्ञापित **ऑफिस एग्जीक्यूटिव** के पद पर निम्नांकित शर्त्तों एवं बन्धेजों के अधीन संविदा के आधार पर एकमुश्त मासिक परिलब्धि **रू० 10,000/– (रूपये दस हजार)** पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दिनांक 11 दिसंबर, 2013 से एक वर्ष के लिये बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० में नियोजित किया जाता है :–

क्र०सं०	चयनित अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता
1	श्री मनमोहन किशन	श्री शिवेश कुमार सिन्हा	01.03.1978	चित्रकूट नगर, रोड नं०–2, एच०पी०ओ०–मुजफ्फरपुर, पिन–842001, मुजफ्फरपुर, बिहार मो0 नं0 – 9122315397
2	श्री संतोष कुमार	श्री उमेश कुमार झा	16.01.1987	क्वार्टर नं०–1/84, न्यू सी०आई०डी० कॉलोनी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना –800023, बिहार मो0 नं0 – 9308263035
3	राकेश कुमार	स्व० जगदीश प्रसाद सिंह	05.09.1981	22, रोड नं०–02, शाही कॉलोनी, पी०ओ०–हाजीपुर, पिन–844101, बिहार मो0 नं0 – 8579895706
4	श्री गुप्तेश्वर कुमार	श्री कृष्ण राम	19.09.1979	नवाडीह रोड (जगजीवन नगर) औरंगाबाद, पिन–824101, बिहार मो0 न0 – 7739092192
5	श्री यादवेन्द्र कुमार चंचल	स्व० राम जतन राय	01.01.1984	शिवपुरी (उड़ान टोला), अनीसाबाद, पटना–800002, बिहार मो0 नं0– 9835640979
6	श्री सतीश कुमार	श्री सोहन लाल	01.03.1989	सरिस्ताबाद, अनीसाबाद, पटना–800002, बिहार मो0 नं0– 9308962626
7	श्री बिश्वनाथ राम	श्री जय नारायण राम	26.04.1988	ग्राम+पोस्ट–निर्मली, पुलिस स्टेशन–पिपरा, जिला–सुपौल, पिन–852131, बिहार मो0न0–9534631371
8	श्री संतोष कुमार	श्री सेनानी प्रसाद	25.11.1989	न्यू अलकापुरी, 10/27, गर्दनीबाग, अनीसाबाद, पटना–800002, बिहार मो0नं0–8083128687
9	श्री महेन्द्र राम	श्री भागीरथी राम	22.04.1983	105, बारागाँव, पोस्ट ऑफिस– बारागाँव, जिला –पश्चिमी चंपारण पिन–845101, बिहार मो0 नं0–9504133908
10	सुश्री सुलेखा कुमारी	श्री सिद्धेश्वर यादव	15.01.1985	नॉर्थ मंदिरी बापू नगर, पोस्ट ऑफिस–जी०पी०ओ०, पुलिस स्टेशन–बुद्धा कॉलोनी, पटना–800001 मो०नं०–9386834019

1. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदो के विरूद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिये है, जिसमें प्रथम 3 महीना परीक्ष्यमान अवधि होगी इस अवधि में कार्यक्षमता, दक्षता तथा सामान्य व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही अगले नौ महीने का नियोजन विस्तारित किया जा सकेगा।
2. यदि संविदा के अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यार्थी सरकारी सेवक नही माने जायेगें और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।
4. यह नियोजन पूर्णतः औपबंधिक होगा जिसकी सम्पुष्टि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन, पुलिस सत्यापन तथा परीक्ष्यमान अवधि के संतोषजनक समाप्ति के पश्चात् ही होगी। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जाँच संबंधित संस्थान/सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद यदि प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये पारिश्रामिक की वसूली नियमानुसार की जायेगी। साथ ही साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जायेगी।
5. संविदा पर नियोजित व्यक्ति का पदस्थापन तथा स्थानान्तरण का पूर्ण अधिकार बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
6. नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रैक्ट पीरियड) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
7. योगदान के पश्चात् नियोजित व्यक्ति को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के साथ विहित प्रपत्र में एक अनुबंध हस्ताक्षरित करना अनिवार्य होगा, जिसकी सभी शर्त्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति द्वारा उक्त अनुबंध के किसी भी शर्त्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध एवं नियोजन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
8. योगदान के समय नियोजित व्यक्ति को निबंधित चिकित्सक द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा। साथ ही योगदान के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों को जांच हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. 11 दिसंबर, 2013 समय पूर्वाह्न 11:00 बजे तक बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, प० नि० वि० यांत्रिक कर्मशाला परिसर (पटना हवाई अड्डा के नजदीक) शेखपुरा, पटना–800014 में योगदान नहीं देने पर नियोजन स्वतः समाप्त समक्षा जायेगा।
10. पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अनु0–यथोक्त।

(केशव रंजन प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

Schedule IX Form no. 32

MEDICAL CERTIFICATE

Under Article 49 Civil Service Regulations

I do hereby certify that I have examined...

....

....

.... a candidate for employed in the Department and cannot discover that he/she

has any disease, constitutional affection or bodify infirmly excent ....

I consider/do not consider this a disqualification for employment in the office of

....

His/her age is, according to his/her own statement... years, and by appearance

About .... years.

Place :...............

Date : .... Surgeon

DECLARATION BY CANDIDATE

I," ...."

a candidate for employment in the Government of Bihar do hereby declare that I have not any time been pronounced unfit for Government by the Medical Board at the India Office in England or any other constituted medical authority.

Date : .... Signature of Candidate

---

N.B. - Words not applicable should be through,

Note to article 49. Civil Service Regulations:-

When an officer in whom a defect has been noticed by the examining officer is transferred from one office to another the duties of which are different, in character a commissioned Medical Officer in – charge of a civil station (or in the case of an office employed in a State Railway) should report whether the defect will material interfere with the officer transferred.

Note : - I exeray case if the opinion of the Medical Officer is Medical Board through the Departmental head (prosecative) of the applicat, and the decision of the Board shall be final.

Name of candidate to be written in fill.